*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब० / ना०सु०–03–14 / 2017 43 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 24/8/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर पंचायत, एकमा बाजार क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से संबंधित ₹19.96300 लाख (उन्नीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र के योजना की सहायक अनुदान के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक– 590, दिनांक– 16.12.2017 द्वारा सूचित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक– 16.02.2010 को विकास यात्रा के दौरान सारण जिला के एकमा प्रखंड के भरहोपुर टोले गंज स्थित जलाशय के सौंदर्यीकरण कराने के लिए किये गये घोषणा के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2010–11 में मनरेगा योजना के तहत् ₹29.54800 लाख की योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्य प्रारम्भ कराया गया था। उक्त योजना पर ₹19.41941 लाख का कार्य करा भी दिया गया था, परन्तु इसी बीच दिनांक– 17.10.2011 को नगर पंचायत, एकमा बाजार का गठन हो जाने एवं वर्णित क्षेत्र नगर पंचायत के अंतर्गत आने के कारण कार्य को स्थगित कर दिया गया। भ्रमण कार्यक्रम के पूर्व उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा डूडा, सारण के माध्यम से ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी अनुमोदन के साथ स्वीकृति हेतु भेजा गया, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं०– 96, दिनांक– 19.01.2018 द्वारा प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०– 97, दिनांक– 19.01.2018 द्वारा सम्पूर्ण राशि आवंटित की गई।

2. पुनः कार्यपालक अभियंता, डूडा, सारण के पत्रांक– 23, दिनांक– 27.01.2018 द्वारा उक्त जलाशय के सौंदर्यीकरण हेतु 04 योजनाओं में कुल ₹24,21,500.00 का कार्य जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार कराते हुए उसकी स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। विभागीय पत्रांक– 1444, दिनांक– 09.03.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण से कराए गए कार्यों की जाँच कराते हुए मंतव्य सहित प्रतिवेदन की माँग की गई।

3. जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक– 13, दिनांक– 30.07.2018 द्वारा वर्णित चारों योजनाओं में कराए गए कार्यों को स्थल निरीक्षणोपरांत संतोषप्रद पाया गया तथा निम्न तालिका के क्रमांक– 3 में अंकित

योजनाओं के क्रमांक– 4 में अंकित राशि के अनुरूप घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. जिला पदाधिकारी, सारण के उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजनाओं की घटनोत्तर स्वीकृति स्तम्भ– 4 के अनुरूप निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	नगर पंचायत, एकमा बाजार	एकमा नगर पंचायत भरहोपुर टोलेगंज पर स्थित जलाशय के चारों तरफ जंगल की सफाई एवं मिट्टी की भराई।	7.34800
2		एकमा नगर पंचायत भरहोपुर टोलेगंज पर स्थित जलाशय के पास हैलीपैड से एकमा–मॉझी मुख्य पथ का पहुँच पथ निर्माण कार्य।	2.89400
3		एकमा नगर पंचायत भरहोपुर टोलेगंज पर स्थित जलाशय के पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	3.18300
4		एकमा नगर पंचायत भरहोपुर टोलेगंज पर स्थित जलाशय के चारों तरफ पेभर लगाई कार्य।	6.53800
		कुल योग	**19.96300**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹19.96300 लाख (उन्नीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹19.96300 लाख (उन्नीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करने के उपरांत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरण, (डूडा) सारण को हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एंव तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217031930104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में डूडा, सारण से प्राप्त कर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार द्वारा महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०सु०–03–14/2017 के पृष्ठ सं०– ....13....../टि० पर दिनांक– ..16/08/2018... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– ....14......./टि० पर दिनांक– ..23/08/2018... को प्राप्त है ।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सारण/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सारण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24.08.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–14/2017 43 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–24/8/18

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सारण/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सारण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.08

सरकार के विशेष सचिव।